निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1943 (श0)

(सं0 पटना 816) पटना, सोमवार, 27 सितम्बर 2021

Ik;koj.k] ou ,o tyok;| ifjor|u foHkkx

---

vf/klpuk
20 flrEcj 2021

सं० पर्या./जल./परि.(विविध)–16/2019–746 (ई०)/प.व.ज.प.— और चूँकि, प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 2011 को अधिक्रमित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29वां) की धारा 3,6 एवं 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली, 2016 को राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.–320 (ई.) दिनांक–18.03.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

और चूँकि, उपरोक्त अधिनियम की धारा–5 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–एस.ओ.–152 (ई.) दिनांक–10.02.1988 द्वारा राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार सरकार ने अधिसूचना संख्या–943 दिनांक–24.10.2018 एवं अधिसूचना संख्या–1043 दिनांक–11.12.2018 द्वारा क्रमशः नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों की परिसीमा में प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई के बावजूद) के उत्पादन, भण्डारण, आयात, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

और चूँकि, राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या–पर्या./वन (मु०)–09/2019–406 (ई.) प.व.ज.प. दिनांक 16 जून, 2021, जो बिहार गजट के असाधारण अंक संख्या पटना, 525 दिनांक 18 जून, 2021 में प्रकाशित है, के द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 के प्रभाव से त्याज्य एकल उपयोग प्लास्टिक से बने उत्पाद जिसमें थर्मोकोल भी शामिल है, पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

और चूंकि, अर्द्ध–सरकारी पत्र संख्या–17.06.2021–एच.एस.एम.डी., दिनांक–08.04.2021 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और मिशन मोड में इसका कार्यान्वयन करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल गठित करने का संकेत दिया गया है।

तदनुसार, बिहार सरकार एकल उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मिशन मोड में एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने एवं समय–समय पर संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल का गठन करती है। जैसा कि यहाँ नीचे दिया गया है:

राज्य स्तरीय विशेष कार्यबल की संरचना इस प्रकार है :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग;
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग;
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग;
4. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग;
5. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग;
6. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग;
7. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग;
8. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग;
9. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग;
10. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग;
11. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग;
12. सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
13. लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के लिए राज्य समन्वयक;
14. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए राज्य समन्वयक;

नोटः– विशेष कार्य बल की बैठक सामान्य रूप से दो माह में एक बार आहूत की जायेगी। तथापि, यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष इस बैठक को पहले भी आहूत कर सकते हैं।
अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं।

(ख) नोडल विभाग।–प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 और विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के कार्यान्वन के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित करती है।

(ग) जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं अनुमंडल स्तर पर भी एक टास्क फोर्स का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

जिला के लिएः–

1. संबंधित जिले के जिला दण्डाधिकारी– अध्यक्ष
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी–सदस्य सचिव;
3. उप विकास आयुक्त;
4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद,
5. जिले में पड़ने वाले नगरीय स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी;
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी;
7. जिला पंचायती राज पदाधिकारी;
8. जिला महाप्रबंधक, उद्योग;
9. श्रम अधीक्षक;
10. जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी;
11. क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
12. जिला डेयरी विकास पदाधिकारी;
13. जिला कृषि पदाधिकारी;
14. जिला बागवानी पदाधिकारी;
15. जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान;
16. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका;
17. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस.;

यदि आवश्यक हो तो जिला दण्डाधिकारी अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं।

अनुमंडल स्तर के लिएः–

1. संबंधित अनुमडल पदाधिकारी–अध्यक्ष;
2. प्रखंड विकास पदाधिकारी;
3. कार्यकारी पदाधिकारी, पंचायत समिति;
4. अंचलाधिकारी;
5. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी;
6. प्रखंड कृषि पदाधिकारी;
7. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी;
8. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी;
9. अनुमंडल स्तरीय प्रभारी (जीविका);
10. अनुमंडल स्तरीय प्रभारी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान;

11. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी;

यदि आवश्यक हो तो अनुमंडल पदाधिकारी अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं।

नोटः— जिला स्तरीय कार्य बल की बैठक माह में एक बार तथा अनुमंडल स्तरीय कार्य बल की बैठक माह में दो बार आहूत की जायेगी। तथापि, यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष संबंधित बैठक को पहले भी आहूत कर सकते है।

(घ) **लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर की स्थायी समिति प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के कार्यान्यवन एवं विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में निर्गत विभिन्न आदेशों का अनुश्रवण करेगा।**

(ड.) **एकल उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने हेतु राज्य स्तर, जिला—स्तर एवं अनुमंडल स्तरीय विशेष कार्य बल के लिए संदर्भित शर्तें :—**

1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करना एवं राज्य, जिला एवं शहर के स्तर पर विभिन्न विभागों/एजेंसियों के प्रयासों एवं संसाधनों के तालमेल के साथ पहचान की गयी गतिविधियों एवं समय—सीमा/सारिणी के साथ एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना;
2. राज्य में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का आकलन एवं संग्रहित, पुनःचक्रित एवं निपटान किये गये प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (कम उपयोग, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रण) के बीच के अंतर के लिए नीति कार्यान्वयन, प्रवर्त्तन एवं बुनियादी ढ़ांचे की पहचान करना;
3. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन और राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए नीति, नियामक एवं संस्थागत तंत्र को सशक्त करना, उचित प्रबंधन रणनीतियों की रूप—रेखा तैयार करना और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन के साथ—साथ स्वच्छ भारत मिशन से निधि प्राप्त करना;
4. (क) यथा संशोधित प्लास्टिक प्रबंधन नियमावली, 2016 एवं (ख) राज्य विशेष द्वारा पहचान किए गये एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं और/अथवा अन्य वस्तुओं पर लगाये गये प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु उपाय करना;
5. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 यथा संशोधित के तहत पहचान किए गए प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्रियों के विकल्पों को अपनाने एवं समर्थन हेतु नीतियाँ बनाना;
6. प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के उपाय करना;
7. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 यथा संशोधित के प्रभावी कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु उपाय करना;
8. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्रियों के उपयोग में कमी करने के लिए जन—सामान्य के बीच जागरूकता एवं अभिवर्धित करने के लिए गतिविधियों का एक विस्तृत रोड मैप बनाना;
9. विस्तृत कार्य योजना बनाना के साथ शैक्षणिक संस्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय) एन.सी.सी., एन.एस.एस. स्काउट, यूथ क्लबों, इको क्लबों, स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करके प्लास्टिक प्रदूषण के शमन के लिए एक मजबूत जन—आंदोलन के लिए रणनीति विकसित करना ;
10. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या—943 दिनांक—24.10.2018 द्वारा राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत तथा अधिसूचना संख्या—1043 दिनांक—11.12.2018 द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में किसी भी आकार व मुटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करना;
11. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या—406 (ई.) दिनांक 16 जुलाई 2021 द्वारा त्याज्य एकल उपयोग प्लास्टिक; थर्मोकोल (पॉलीस्टाइरिन) कटलरी यथा भोजन अथवा पेय परोसने में उपयोग किये जाने वाले कप एवं अन्य कटलरी; पानी के पाउच एवं पैकेट, प्लास्टिक झंडे, बैनर एवं ध्वज—पट्ट के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर राज्य में लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

Department of Environment,Forest & Climate Change

Notification

20th September 2021

No. Parya/Jal/Pari (Vivid)-16/2019-746(E)/E.F&CC, —Whereas,in exercise of the power conferred by Section 3, 6 and 25 of the Environmental (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of the Plastic Waste (Management & Handling) Rules, 2011. Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC), Govt. of India has notified the Plastic Waste Management Rules, 2016 vide Gazette Notification no G.S.R. 320 (E) dt.18.03.2016.

Whereas, in exercise of the Power delegated to this State under Notification No. S.O. -152(E) dt. 10.02.1988 under Section 5 of the said Act by the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India, the Government of Bihar issued notification to impose a complete ban on Manufacture, Import, Transport, sale and use of Plastic Carry Bags (irrespective of their size and thickness) in the jurisdiction of all Urban Local Bodies and Gram Panchayat vide Gazette notification no. 943 dt. 24.10.2018 and 1043 dt.11.12.2018 respectively.

Whereas, the state government vide notification no.Parya Van (Muk)-09/2019-406E/E.F&CC, dated 16th June 2021 published in the extraordinary Gazette No. Patna 525, dated 18th June 2021, has already notified ban on certain items made of disposable Single use plastic with effect from 15th December 2021.

Whereas, vide D.O. No.- 17.06.2021-HSMD, dated 08.04.2021 the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India has indicated to constitute a state level Special Task Force under the chairmanship of the Chief Secretary for preparing a Comprehensive Action Plan for phasing out of SUP and its implementation in mission mode.

Accordingly, the Government of Bihar constitutes a "Special Task Force" under the chairmanship of the Chief Secretary of Government of Bihar for preparing a comprehensive Action Plan for eliminating "Single Use Plastics" and monitoring of Implementation of the Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time, in a mission mode, as here under:

Composition of the State Level Special Task Force is as follows:

1. ACS/PS/Secretary, Panchayati Raj Department;
2. ACS/PS/Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department;
3. ACS/PS/Secretary, Urban Development & Housing Department;
4. ACS/PS/Secretary, Department of Industries;
5. ACS/PS/Secretary, Rural Development Department;
6. ACS/PS/Secretary, Education Department;
7. ACS/PS/Secretary, Labour Resources Department;
8. Principal Secretary, Art, Culture & Youth Department;
9. ACS/PS/Secretary, Science & Technology Department;
10. ACS/PS/Secretary, Tourism Department;
11. ACS/PS/Secretary; Information & Public Relation Department;
12. Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board;
13. State Coordinator for Lohia Swachh Bihar Mission;
14. State Coordinator for Swachh Bharat Mission (Urban);

Note: The meeting of Special Task Force shall be convened normally once in two months. However, the chairperson may call its meeting earlier also, if required.

The Chairperson may co-opt other members as required.

B. **Nodal Department.—**The State Government designates the Urban Development and Housing Department as a Nodal Department for Urban areas and Panchayati Raj Department for rural areas, for implementation of the plastic waste management rules, 2016 and various orders issued with respect to ban on different plastic products.

C. **For effective Implementation on Ground Level, District Level Task Force and Sub-divisional level Task Force is also constituted as here under:**

For District:

1. District Magistrate of concerned district – Chairman;
2. Divisional Forest Officer-Member Secretary;
3. Deputy Development Commissioner;
4. Chief Executive Officer, Zila Parisad;
5. Municipal Commissioner/Executive Officer of ULBs falling in the District;
6. District Education Officer;
7. District Panchayati Raj Officer;
8. District General Manager, Industries;
9. Labour Superintendent;
10. District Public Relation Officer;
11. Regional Officers, Bihar State Pollution Control Board;
12. District Dairy Development Officer;
13. District Agriculture Officer;
14. District Horticulture Officer;
15. District Coordinator,Lohia Swachh Bihar Abhiyan;
16. District Programme Manager, Jeevika;
17. District Programme Officer, I.C.D.S.;

The District Magistrate may co-opt other members, if required.

For Sub divisional Level:

1. Sub Divisional Officer as a Chairman;
2. Block Development Officers;
3. Executive Officer,Panchayat Samiti;
4. Circle Officers;
5. Block Education Officers;
6. Block Agriculture Officers;
7. Block Welfare Officers;
8. Forest Range Officer;
9. Sub divisional Level In-charge (Jeevika);
10. Sub divisional Level In-charge, Lohia Swachh Bihar Abhiyan;
11. Child Development Project Officer;

Sub Divisional Officer may co-opt other members, if required.

Note: The meeting of district level task force will be convened once in a month and sub-divisional level task force meeting will be convened twice in a month. However, the respective chairperson may convene the meeting earlier also, if required.

(D) **The Standing Committee of Zila Prisad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat Level, dealing with Public Health, Family Welfare and Rural Sanitation shall monitor the implementation of Plastic Waste Management Rules, 2016 and various orders issued with respect to ban on different plastic products.**

(E) Terms of Reference for State Level, District Level and Sub-divisional Level Special Task Force for Eliminating Single Use Plastic:

i. Prepare a comprehensive Action Plan for implementation of Plastic Waste Management Rules, 2016 and phasing out of Single Use Plastic with identified activities and timelines and synergizing efforts and resources of various Departments/ Agencies at State, District and City Level.

ii. Assess the quantum of plastic waste generated in the State and the quantum of plastic waste collected, recycled and disposed to identify the gaps in plastic waste management (Reduce, Reuse and Recycles), policy implementation, enforcement, infrastructure, etc.;

iii. Strengthen policy, regulatory, institutional mechanisms/structures for the implementation of Plastic Waste Management Rules, 2016 and phasing out of Single Use Plastic (SUP) in the State, design appropriate management strategies and allow for allocation of financial resources for Plastic Waste Management including leveraging of funds form Swachh Bharat Mission;

iv. Take measures for effective enforcement of (a) Plastic Management Rules, 2016, as amended and (b) State specific bans imposed on identified single use plastic items and/or any other items.

v. Develop policies for supporting and adoption of alternatives to identified single use plastic items prohibited under Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended thereafter;

vi. Take measures to strengthen Urban Local Bodies/ Gram Panchayats for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal for plastic waste;

vii. Take measures for effective monitoring of implementation of Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended thereafter;

viii. Prepare a detailed road map for activities to build awareness and outreach among public on plastic waste management and reduction in the use of SUP items;

ix. Develop Strategy for building a strong public movement for mitigation of plastic pollution by involving educational institutions (Schools, Colleges, Universities) NCC, NSS, Scouts, Youth Clubs, Eco-clubs, Opinion makers and voluntary organizations, with a detailed action plan in this regard.

x. Implementation and monitoring of State Govt. Notification to impose a complete ban on the manufacture, import, store, transport, sale and use of plastic carry bag (irrespective of their size and thickness) in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils, and Nagar Panchayats vide notification no. 943 dt. 24.10.2018 and in the jurisdiction of all Gram Panchayats in the State vide notification no.- 1043 dt.11.12.2018.

xi. Implementation and monitoring of State Govt. Notification to impose a complete ban on the manufacture, import, store, transport, sale and use of following disposable single use plastics:

thermocol (polystyrene) cutlery viz. cups and other cutlery used for serving eatables/ drinks; water pouches & packets; plastic flags, banners and buntings in the State of Bihar vide notification no. 406(E), dated 16th June 2021.

By order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 816-571+500-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in